मोहिन्द्र और अन्य

बनाम

नगीना (मृतक) का प्रतिनिधित्व एल.आर.एस. द्वारा किया गया।

(एस.एस.राठौड़ जे.)

उड़ीसा हाई कोर्ट का एक और फैसला , हम फैसले से गुजर चुके हैं, तथ्य अलग अलग हैं, इसके अलावा इस फैसले में पहले के फैसले पर विचार नहीं किया गया ,

8. उपर दर्ज कारणों से, हम संदर्भित प्रष्न का उत्तर राजस्व के पक्ष में और निर्धारती के विरूद्व नकारात्मक में देते हैं। ट्रिब्यूनल का यह मानना सही नहीं था कि गणेष फैक्ट्री से तालु राम की षेयर आय का मूल्यांकन तालु राम एचयूएफ के हाथों में किया जाना चाहिए। इसका मूल्यांकन तालु राम व्यक्ति के हाथों होना चाहिए। हालांकि , लागत के सबंध में कोई आदेष नहीं होगा ।

जे एस टी

समक्ष जे एस षेंखों और एस एस राठौर जे जे

मोहिन्दर और अन्य --अपीलकर्ता।

बनाम

नगीना(मृतक) का प्रतिनिधित्व एल आर एस प्रतिवादियों द्वारा किया गया।

1987 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 1860

7 सितम्बर 1991

(ए) भारतीय उतराधिकार अधिनियम , 1925 एस 63 वसीयत की वैधता दो या दो से अधिक गवाहों दवारा सत्यापित किया जाना आवषयक है,जिनमें से प्रत्येक को वसीयतकर्ता को हस्ताखर करते हुए देखना होगा या वसीयत पर अपना निषान लगाना होगा और प्रत्येक गवाह को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करना होगा-यह प्रासंगिक नहीं है कि जिस व्यक्ति ने प्रमाणित किया है । गवाह को प्रमाणित करने वाले के रूप में दिखाया गया है भले ही गवाह को गवाह के रूप में दिखाया गया है , लेकिन वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत का निश्पादन साबित कर दिया गया है और अधिनियम की धारा 63 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के संदर्भ में उसके द्वारा उचित सत्यापन किया गया है, वसीयत साबित होती है।

यह माना गया कि वसीयत को वैध होने के लिए दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना आवषयक है, जिनमें से प्रत्येक को वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर देखना होगा या वसीयत पर अपना निषान लगाना होगा और प्रत्येक गवाह को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयतपर हस्ताक्षर करना होगा, यह प्रासंगिक नहीं है कि जिस व्यक्ति ने वसीयत को सत्यापित किया है, उसे आवष्यक रूप से एक प्रमाणित गवाह के रूप में दिखाया जाना चाहिए, भले ही गवाह को एक प्रमाणित गवाह के रूप में नहीं दिखाया गयाहो,लेकिन उसने वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत के निश्पादन और उसके द्वारा उचित सत्यापन को साबित कर दिया हो। धारा 63 और भारतीय उतराधिकार अधिनियम और साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के संदर्भ में, वसीयत साबित होती है।

(बी.) भारतीय उतराधिकार अधिनियम 1925- वसीयत वैध निश्पादन रिकार्ड पर संतोशजनक सबूत होना चाहिए कि निश्पादक स्वस्थ था। डिस्पोजिंग माईंड - मुंषी और सब रजिस्ट्रार के ब्यान को साक्ष्य प्रमाणित करने वाला नहीं माना जा सकता- न तो निश्पादक के अंगुठे का निषान और न ही साक्ष्य प्रमाणित करने वाले गवाह का निषान साबित हुआ- वैध साबित नहीं होगा ।

माना, गया कि मुंषी और सब रजिस्ट्रार के ब्यानों को प्रमाणित गवाह का बयान नहीं माना जा सकता । दोनों गवाहों ने स्वीकार किया है कि वे निश्पादक को नहीं जानते थे । जैसा कि पहले कहा गया है, न तो निश्पादक और न ही प्रमाणित करने वाले गवाह के अंगूठे के निषान रिकार्ड पर साबित होते हैं, इसे देखते हुए , इन गवाहों के बयान उस कागज के मूल्य के लायक नहीं है जिस पर वे दर्ज किए गए हैं। वसीयत के वैध निश्पादन के लिए, रिकार्ड पर संतोशजनक सबूत होना चाहिए कि निश्पादक स्वस्थ दिमाग वाला था।

जरनैल सिंह बनाम नारायणग सिंह 1984 आर एल आर 131

लाल सिंह और अन्य बी बंत सिंह ए आई आर1983 पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट) 384

(ओवर रूलड)

श्री एस आर बंसल ,अपर के न्यायालय की डिक्री से नियमित द्वितीय अपील जिला न्यायाधीष , अम्बाला 4मार्च 1967 को श्री एस के कपूर एच सी एस की लागत की पुश्टि करते हुए अतिरिक्त वरिश्ठ उप न्यायधीष , जगाधरी जिला , अंबाला ने दिनांक 1 जून ,1984 को वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ घोशणा के लिए एक डिक्री पारित की -इस आषय की

कथित वसीयत दिनांक 20 फरवरी 1978 अमान्य है और इसे अमान्य माना जाएगा। मृतक बलवन्त सिंह की मृत्यु बिना वसीयत के हो गई थी, हिंदु उतराधिकार की धारा 8,9 और 10 के अनुसार मुकदमें की संपति का उतराधिकार, जो मृतक बलवंत सिंह की स्व-अर्जित सम्पति के रूप में स्थापित है, खोला जाना है और उसके उतराधिकारियों को हस्तांतरित किया जाना है। अधिनियम , 1956 और पाटियों को अपनी लागत स्वंय वहन करने के लिए छोड़ दिया गया,

दावा- इस आषय की घोशणा के लिए मुकदमा कि कथित वसीयत, दिनांक 20 फरवरी 1978 को नवल के पुत्र बलवन्त सिंह द्वारा प्रतिवादी नबंर 3 के पक्ष में देवधर गांव में स्थित 79 कनाल 2 मरला भूमि के 1/10 वें हिस्से के कब्जे की परिणामी राहत के साथ जाली,काल्पनिक , अवैध आयातित और अक्षम है। राजस्व संपदा संख्या 72 तहसील जगाधरी जिला अंबाला जैसा कि वर्श 1977-78 की जमाबदंी में दर्ज है जिसका र्षीशक खेवट संख्या 71 खतौनी संया 118 34 किला संख्या 11 (5-16)19(6-14) 20(8-0) आयत संख्या 55 किला संख्या 20 10(0-2) आयत संख्या 87 किला संख्या 25 (8-0)आयत 88 किला संख्या 21 (8-0) आयत संख्या 211 (0-17)और 220 (0-5)कुल क्षेत्रफल 79 कनाल 2 मरले के सभी 15 भूखंडो में और खेवट न 72 के 1/5 भाग के कब्जे के लिए खतौनी संख्या 119 आयत संख्या 100 किल्ला संख्या 5/1 (1-18)आयत संख्या 103 किल्ला संख्या 14/10 (0-2) कुल दो किता में 2 कनाल माप ग्राम - देवधर, राजस्व में स्थित है

आदेष 7 नियम 1 सी पी सी के तहत संपति संख्या 73 सभी अधिकार , र्षीशक और ब्याज के साथ ।

अपील में दावाः दोनों न्यायालयों के आदेष को उलटने के लिए ,

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता आर के छोकर

प्रतिवादी की ओर से वाई के षर्मा अधिवक्ता

निर्णय

एस एस राठौर जे

1. वर्तमान प्रतिवादी नगीना ने घोशणा के लिए एक मुकदमा दायर किया कि 20 फरवरी 1978 की कथित वसीयत , जिसे उसके भाई बलवंत सिंह ने सतपाल के पक्ष में निश्पादित किया था, अपीलकर्ता जाली काल्पनिक है और सफल होने के उसके अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं है। बलवन्त सिंह द्वारा छोडी गई संपति को मुकदमें में दर्ज 79 कनाल और 2 मरला भूमि के 1/10वें हिस्से के कब्जे के लिए अतिरिक्त राहत भी मांगी गई थी। संक्षेप में, वादी का मामला यह था कि वह और उसका भाई तालाब (प्रतिवादी सतपाल के पिता)मृतक बलवंत सिंह की संपति के एकमात्र जीवित वैध उतराधिकारी है।

2. मुकदमें में प्रतिवादियों (अपीलकर्ता) ने वादी के दावे का विरोध किया और लिखित बयान में यह दलील दी गई कि विचाराधीन वसीयत एक कानुनी रूप से वैध दस्तावेज है, जिसे बलवंत सिंह द्वारा सत पाल प्रतिवादी के पक्ष में विधिवत निश्पादित किया गया है आगे यह तर्क दिया गया कि वसीयतकर्ता द्वारा पूरे मन से वसीयत निश्पादित की गइ्र थी । वैकल्पिक रूप से , लिखित बयान में यह भी अनुरोध किया गया था कि यदि वसीयत को वैध रूप से दतक पुत्र है और वह अकेले ही बलवंत सिंह दवारा छोडी गई संपति का उतराधिकारी होगा ,क्योंकि वह वैध है।दतक पुत्र के रूप में उतराधिकारी ।

3. पक्षांे की संबधित दलीलो को ध्यान में रखते हुए, ट्रायल कोर्ट ने अलग अलग तारीखों पर मुददे तय किए , लेकिन समेकित रूप से इस प्रकार रखे गए हैंः-

1. क्या वादी और तालाब अकेले विवाद में संपति के उतराधिकारी के हकदार थे ? ओ पी पी

1-ए क्या सम्पति पैतृक है ओ पी पी

1-बी क्या अलगाव और उतराधिकार के मामलों में पक्ष प्रथा द्वारा षासित होते हैं ? यदि हां , तो किस प्रभाव से ? ओ पी पी

2. क्या मृतक बलवन्त सिंह ने प्रतिवादी संख्या 3 केक पक्ष में वैध वसीयत निश्पादित की थी ? ओ पी डी

3. क्या प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में वसीयत जाली है, अवैध है और यदि ऐसा है तो यह वादी के पैरा संख्या 5 में उल्लिखित आधारों पर आधारित है ? ओ पी पी

4. क्या कोर्ट फीस पर्याप्त है? ओ पी पी

4-ए. क्या प्रतिवादी सतपाल, मृतक बलवन्त सिंह का दतक पुत्र था। यदि हां , तो किस प्रभाव से ? ओ पी डी

5. राहत

4. पूर्ण सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने निश्कर्श निकाल कि 20 फरवरी 1978 की प्रष्नगत वसीयत अवैध जाली है और किसी भी तरह से विवाद में भूमि पर वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है। मुददा संख्या 2 और 3 सह-संबधित होने के कारण, निश्कर्श वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के विरूद्व लौटाए गए । एक पंजीकृत गोद लेने के विलेख और

मौखिक साक्ष्य के गूढ , विरोधाभासी और अविषवसनीय होने के अभाव में ट्रायल कोर्ट ने मुददा संख्या 4 के तहत एक सकारात्मक निश्कर्श दर्ज किया कि प्रतिवादी सतपाल को बलवन्त सिंह द्वारा गोद नहीं लिया गया था । अंक संख्या 1-ए के तहत, यह माना गया कि संपति पैतृक नहीं साबित हुई और इस तरह , वादी के खिलाफ फैसला किया गया । इसी तरह मुदा संख्या 1-बी का फैसला भी वादी के खिलाफ यह कहते हुए सुनाया गया कि अलगाव और उतराधिकार के मामले में पाटिंया रीति रिवाजों द्वारा षासित नहीं थी । हालांकि मुददा संख्या 2 और 3 के तहत दर्ज किए गए निश्कर्शो के मध्यनजर , मुकदमें की सुनवाई ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई थी, जिसमें वसीयत को अमान्य और जाली दस्तावेज माना गया था, जिससे वादी के अपने भाई द्वारा छोड़ी गई संपति के प्रत्यावर्ती अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा ।वादी द्वारा वादपत्र में दावा की गई सीमा तक बलवंत सिंह ।

5. वर्तमान अपीलकतौओ ने, ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री से व्यथित महसूस करते हुए एक अपील की, जिसे निचली अपीलीय अदालत के 4 मार्च 1887 के फैसले और डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया ।प्रथम अपीलीय अदालत ने विष्लेशणात्मक रूप से जांच की और सराहना की । केस के रिकार्ड पर साक्ष्य और विभिन्न मुदो पर ट्रायल कोर्ट दवारा दर्ज किए गए निश्कर्शो से सहमति व्यक्त की गई । बेषक ट्रायल कोर्ट ने मुदा संख्या 1 के तहत कोई विषेश निश्कर्श दर्ज नहीं किया है, लेकिन जैसा कि पहले अपीलकर्ता ने देखा है। न्यायालय मुददे संख्या 1 के तहत निश्कर्श की गैर रिकाडिंग महत्वहीन है क्योंकि माना जाता है कि बलवन्त सिंह की मृत्यु की तारीख पर वादी तालाक (वर्तमान अपीलकर्ताओ के पिता)एकमात्र वैध उतराधिकारी थे मुददे संख्या 1 के तहत कवर किए गए मामले के इस पहलू को पार्टियों द्वारा कभी नहीं छुआ गया था या इस अदालत में अपीलकर्ताओ के वकील दवारा कोई तर्क आगे बढाया गया था यहां तक कि अन्यथा मूल विवाद षामिल था मामला उस वसीयत की वैधता का है।जिसे मृतक बलवन्त

सिंह ने सतपाल के पक्ष में निश्पादित करने का आरोप लगाया है । इस प्रकार जैसा कि उपर बताया गया है, स्वीकार्य तथ्यों के मध्यनजर मुददे नबंर 1 पर निश्कर्श , प्रषन में वसीयत की वैधता से सबंधित मुददे नंबर 2 और 3 पर दर्ज किए जाने वाले निश्कर्शो का एक आवषयक परिणाम होगा जोकि उदाहरण डी 1 है।रिकार्ड पर

इस न्यायालय में दायर की गई नियमित दूसरी अपील को भाई एम आर अग्निहोत्री जले द्वारा दिनांक 26 नवबर 1887 के आदेष के तहत निम्नलिखित में स्वीकार किया गया था:-

डी बी में भर्ती कराया गया डी बी के समक्ष रखा गया जिसके जे वी गुप्ता जो सदस्यहैं श्री षर्मा का कहना है कि विवाद में भूमि का कब्जा उनके ग्राहक द्वारा पहले ही ले लिया गया है । ऐसा ऐसा है, तो यथास्थिति बनाए रखी जाएगी ।

6. प्रवेष आदेष यह स्पश्ट नहीं करता है कि इसे न्यायमूर्ति जे वी गुप्ता की सदस्यता वाली खंडपीठ के समक्ष रखने का आदेष क्यों दिया गया था।अपीलकर्ताओ के वकील श्री आर न्यायमूर्ति जे वी गुप्ता द्वारा जैसा कि उस समयउनका आधिपत्य थाउन्होने आगे कहा है कि इन दो निर्णयों में निर्धारित नियम को एम एल अब्दुल जब्बार साहिब बनाम एच वेंकट षास्त्री और अन्य 3 के रूप में रिर्पोट किए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मध्यनजर नीचे के न्यायालयों द्वारा नजर अंदाज कर दियार गया था इस प्रकार अंतिम निपटान के लिए यह अपील वर्तमान खंडपीठ के समक्ष आई है।

7. श्री छोकर ने मुदा संख्या 2 और 3 के तहत नीचे दिए गए न्यायालयों के निश्कर्शो पर केवल इस आधार पर आलोचना की है कि भले ही प्रमाणित गवाहो में सक एक स्वर्ण सिंह

लंबरदार (डी डब्ल्यू 3) ने वसीयत के निश्पादन का समर्थन नहीं किया है । वसीयतकर्ता और वसीयतकर्ता द्वारा ट्रायल के दौरान सब रजिस्ट्रार और दूसरे एटैस्टिंग गवाह के समक्ष पहचान पेष नहीं की गई है, जबकि वसीयत के लिए आवेदन करने वाले ओम प्रकाष ग्रोवर (डी डब्ल्यू 2) जिसने वसीयत लिखी और डी डब्ल्यू 6 हुकम चंद गुप्ता , सब रजिस्ट्राार ,जो वसीयत का पंजीकरण करते हैं, के बयान ट्रायल के दौरान पेष नहीं किए गए हैं।अपने तर्क के समर्थन में वसीयत की उचित जांच और सत्यापन को साबित करने के लिए कानुन की नजर में पर्याप्त है। अपने बचाव में उसने दो अदालतों के निर्णय प्रस्तुत किये जोकि श्री जे वी गुप्ता जस्टिस जब वह था उस दवारा दिये गये ।

8. जैसा कि पहले कहा गया है, दोनों निचली अदालतों ने वसीयत को खारिज कर दिया । मामले के मुख्य तथ्य यह हैं कि वसीयतकर्ता बलवन्त सिंह के अंगुठे के निषान साबित नहीं होगें। मृतक के उक्त अंगूठे के निषान की तुलना किसी अन्य मानक अंगूंठे के निषान के साथ करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसी तरह, गवाह अर्थात दावा लंबरदार स्वणर्ा सिंह ने विषेश रूप से केवल वसीयतकर्ता द्वारा निश्पादन और उसके अंगूठे के निषान लगाने से इंकार किया है लेकिन वसीयत को प्रमाणित करने वाले गवाह के रूप में चिन्हित किया और न ही उन्होने सब रजिस्टरार स्वर्ण सिंह के समक्ष पहचान वाले गवाह के रूप में दस्तावेज पर अगुंठा लगाया गया था। उन्होने इस बात से समान रूप से इनकार किया है कि वसीयतकर्ता ने उनकी उपस्थिति में वसीयत पर अपना अगुंठा लगाया था और उन्होने दस्तावेज को प्रमाणित किया था और वसीयत के निश्पादन को देखने के बाद वसीयतकर्ता/निश्पादक की उपस्थिति में उस पर निषान लगाया था । वसीयत की वैधता के सबंध में किसी निश्कर्श पर पहुंचने के लिए,कानुनी स्थिति को समझना आवष्यक है कि वसीयत के निश्पादन को धारा के संदर्भ में

कैसे साबित किया जाए भारतीय उतराधिकार अधिनियम की धारा 63के अनुसार जोकि इस प्रकार हैः-

63. प्रत्येक टेस्टेटर एक वकील न होते हुए भी असली कल्याण में षामिल होता है। अभियान या वास्तविक युद्व में लगे हुए या कोई एयरमैन इस प्रकार नियोजित या लगे हुए या एस ई ओ में एक नाविक, निश्कासन होगा उसकी वसीयत निम्नलिखित नियमों के अनुसार होगी:-

(ए) वसीयतकर्ता उस पर हस्ताक्षर करेगा या अपना गणित लगाएगा होगा या उस पर किसी अन्य व्यक्ति दवारा हस्ताक्षर किये जायेगें उसकी उपस्थिति और उसके निर्देषन से ।

(बी). वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या निषान , या उसके लिए हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर इस प्रकार रखे जाएंगे कि यह प्रतीत हो कि इसका उददेषय वसीयत के रूप में लेखन को प्रभावी बनाना था,

(सी). वसीयत दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित की जाएगी जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते देखा है या वसीयत पर अपना निषान लगाया है या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देष पर वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा है, या वसीयतकर्ता से उसके हस्ताक्षर की व्यक्तिगत पावती या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर का निषान प्राप्त किया है, और प्रत्येक गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन यह आवष्यक नहीं होगा कि इससे अधिक एक ही समय में एक ही गवाह उपस्थित होना चाहिए, और किसी विषेश प्रकार के सत्यापन की आवष्यकता नहीं होगी ।

कानून के उपरोक्त प्रावधानों की एक झलक से पता चलता है कि एक वसीयत को वैध होने के लिए दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना आवष्यक है,जिनमें से प्रत्येक को

वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर देखना होगा या वसीयत पर अपना निषान लगाना होगा, और प्रत्येक गवाह को वसीयत पर हस्ताक्षर करना होगा। वसीयतकर्ता की उपस्थिति में, यह प्रष्न की वसीयत के निश्पादन का तरीका क्या है, भारतीय उतराधिकार अधिनियम की धारा 63 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रसांगिक धारा 68 की समय समय पर व्याख्या की गई है, लेकिन प्रमाणिकता के लिए , एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने बेनी चंद बनाम श्रीमति कमला कंवर ए एल आर 1977 एस सी 63 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः-

इस षिकायत में कोई दम नहीं है कि इस मामले में वसीयत का सबूत गवाह के साक्ष्य के अभाव में अधूराहै।साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 कानून द्वारा सत्यापित किए जाने वाले दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में तब तक उपयोग किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक साक्ष्य देने वाले गवाह को निश्पादन को साबित करने के लिए नहीं बुलाया जाता है, यदि कोई साक्ष्य देने वाला गवाह जीवित है और अदालत की प्रक्रिया के अधीन है और साक्ष्य देने में सक्षम है। चूंकि धारा द्वारा उतराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 में एक वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 लागू होगी और इसलिए वसीयत के प्रस्तावक पर यह दायित्व है कि वह उचित निश्पादन को साबित करने के लिए एक प्रमाणित गवाह की जांच करे। वसीयत लेकिन यह तर्क इस बात को नजरअंदाज कर देता है कि दविजरा निगम खुद इनमें से एक है। तीन व्यक्ति जिन्होने जग्गो बाई के अंगूठे के निषान के नीचे अपने हस्ताक्षर किये । इन तीनोहं में से किसी को भी वसीयत में प्रमाणित गवाह के रूप में वर्णित नहीं किया गया है, लेकिन इस तरह का लेबल लगाना किसी कानून के अनुसार आवष्यक नहीं है और एक वसीयतनामा दस्तावेज पर एक हस्ताक्षरकर्ता का एक प्रमाणित गवाह के रूप में वर्णन दस्तावेज के उचित निश्पादन को दर्षाने वाले साक्ष्य की

जगह नहीं ले सकता है। सत्यापन से अभिप्राय एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से है जो दर्षाता है|

9. इस मामले में यह स्पश्ट है कि एक विषेश गवाह को प्रमाणित गवाह के रूप में लेबल नहीं किया गया था, बल्कि वसयीत पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होने वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत के उचित निश्पादन और उसके द्वारा सत्यापन को साबित करते हुए अदालत में एक बयान दिया । न्यायालय ने कहा है कि यह प्रासंगिक नहीं है कि जिस व्यक्ति ने वसीयत को सत्यापित किया है, उसे आवष्यक रूप में एक गवाह के रूप में दिखाया जाना चाहिए , भले ही गवाह को एक प्रमाणित गवाह के रूप में नहीं दिखाया गया हो, लेकिन उसने वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत के निश्पादन को साबित कर दिया हो और भारतीय उतराधिकार अधिनियम की धारा 63 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के संदर्भ में उनके दवारा उचित सत्यापन के बाद, वसीयत साबित हो जाती है।इन तथ्यों के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में कानून के प्रांसगिक प्रावधानों की व्याख्या की है।

10. यदि डी डब्ल्यू 3 स्वर्ण सिंह का बयान जैसा कि उपर चर्चा की गई है,लंबरदार की विषलेशणात्मक जांच भारतीय उतराधिकार अधिनियम की धारा 63 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में निहित कानून के प्रावधानों के आलोक में की गई है, जैसा कि उपर बतायागया है प्रषनगत वसीयत का कोई निश्पादन नहीं होना ओर साक्ष्य देने वाले गवाहों मेंसे किसी एक द्वारा इसका सत्यापन रिकार्ड पर साबित नहीं हुआ है।

11. अब भाई जे वी गुप्ता जे जैसा कि वह तब थे के उपरोक्त दो निर्णयों की ओर ध्यान दिलाते हैं, जैसा कि वकील ने संदर्भित किया है।अपीलकर्ताओं के लिए यह कहना प्र्याप्त है कि कानून सही नहीं है। साल्ड निर्णयों में निर्धारित किए गए एक अप्रतिवेदित मामला अर्थात नियमित द्वितीय अपील संख्या 1956/1968 धर्म सिंह बनाम श्री मती असो देवी वगैरा) का निर्णय भी न्यायमूति जे मामले में , ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य के बावजूद पंजीकृत वसीयत की वैधता को बरकरार रखा कि केवल प्रमाणित गवाह जोत राम ने वसीयत के निश्पादन का समर्थन नहीं किया था, जोत राम ने आगे गवाही दी थी कि वसीयतकर्ता निश्पादन के समय स्वस्थ दिमाग का नहीं था । वसीयत पर और यह कि न तो उसने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और न ही वसीयतकर्ता ने उसकी उपस्थिति में या अन्य प्रमाणित गवाह पर हस्ताक्षर किए। कोई अन्य गवाह पेष नहीं किया गया और ट्रायल कोर्ट ने पूरी तरह से वसीयत के लेखक के साक्ष्य पर भरोसा किया और वसीयत के गवाह के रूप में मुंषी और उपरजिस्ट्रार के बयानों को स्वीकार करते हुए, ट्रायल कोर्ट ने माना कि वसीयत को विधिवत निश्पादित किया गया था। लेकिन अपील में ट्रायल कोर्ट के उक्त दृश्टिकोण को खारिज कर दिया गया और यह माना गया कि उपरोक्त जोत राम के ब्यान को भारतीय उतराधिकार अधिनियम की धारा 63 के संदर्भ में वसीयतकर्ता द्वारा निश्पादन और सत्यापन को साबित करने और गवाहों को प्रमाणित करने के लिए पूरी से खारिज कर दिया जाना चाहिए । अधिनियम और भारतीयसाक्ष्य अधिनियम की धारा 68 यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 का कोई अनुपालन नहीं है, तो अधिनियम की धारा 71 का कोई लाभ नहीं लिया जा सकता है जो वसीयत के निश्पादन की अनुमति देता है जिसे अन्य साक्ष्यों द्वारा साबित किया जा सकता है , यदि प्रमाणित गवाह इनकार करते हैं या याद नहीं रखते हैं वसीयत के निश्पाउदन का तथ्य , विश्णु राम कृश्ण और अन्य बनाम नाथू विटल और अन्य (4) में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया गया । उक्त

मामले में अपीलीय न्यायालय ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया कि मुन्षी और उप रजिस्टरार का ब्यान पर्याप्त साक्ष्य है क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 के प्रावधानों का अन्य साक्ष्य के रूप में लाभ उठाया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 68 की आवष्यकताओं का अनुपालन नहीं होने पर भी प्रमाणन और सत्यापन साबित करना। तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति की इस पृश्ठभूमि और कानुन के उपरोक्त प्रावधानों की व्याख्या के साथ, वसीयत को कानून के अनुसार विधिवत साबित नहीं होने के कारण खारिज करते हुए अपील की अनुमति दी गई और मामला नियमित दूसरी अपील में इस न्यायालय में आया, जिसका निपटारा भी कर दिया गया । न्यायमूर्ति जे वी गुप्ता द्वारा (जैसा कि उपर चर्चा की गई है, वसीयत के निश्पादन या उसके द्वारा उसके सत्यापन को साबित नहीं करता है और किसी अन्य प्रमाणित गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी । मुंषी और उप रजिस्ट्रार के बयानों की प्रासंगिकता और साक्ष्य मूल्य के बिंदु पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय का निश्कर्श था। जोरदार तरीके से पुश्टि की गई , उस मामले में न्यायमूर्ति जे वी गुप्ता (जैसा िकवह तब थे) के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि उप रजिस्टरार ने वसीयत को पंजीकृत किया औरउस पर अपना समर्थन दिया और गवाह के रूप में उपस्थित होते हुए , उस दस्तावेज पर किए गए समर्थन को पूरी तरह से साबित कर दिया जिसमें वसीयत का निश्पादन किया गया था । वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत और गवाह द्वारा सत्यापन विषेश रूप से समर्थित है। यह तर्क दिया गया कि इन परिस्थितियों में, न्यायालय में जांच की गई उप रजिस्ट्रार को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के तहत एक प्रमाणित गवाह माना जाएगा । इस विवाद के समर्थन में, उस मामले में एक पर निर्भरता रखी गई थी । पुरशोतम राम बनाम एल केषो दास और अन्य (5)और कुंवर सुरेन्द्र बहादुरसिंह और अन्य बनाम ठाकुर सिंह और अन्य 6. यह स्पश्ट है कि लाहौर उच्च न्यायालय ने बाद के प्राधिकार पर भरोसा किया था, विदवान भाई जे वी गुप्ता

जे ने अपीलनकर्ता के वकील दवारा उठाए गए विवाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भारतीय पंजीकरण अधिनियम के तहत दिए गए उप रजिस्टरार के बयान को हिदुं उतराधिकार अधिनियम की धारा 63 के एक सत्यापन नहीं कहा जा सकता है। अपने विचार के समर्थन में, विद्वान एकल न्यायाधीष ने गिरिया दत सिंह बनाम गोंगोत्री दत सिंह 7 एम एल अब्दुल जब्बार साही बनाम एच वेंकट षास्त्री संस व अन्य 8 गिरजा दत सिंह के मामले स्रपा मेंयह माना गया कि वसीयत के पंजीकरण के समर्थन में उपस्थित दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर मात्र यह नहीं माना जा सकता है कि उन्होने गवाह के रूप में दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर जोडे थे या यह माना जा सकता है कि उन्होने गवाहों को प्रमाणित करने की क्षमता में ऐसा किया है। धारा 68 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार वसीयत के उचित निश्पादन और सत्यापन को साबित करने के लिए एक प्रमाणित गवाह को गवाह के रूप में बुलाया जाना आवषयक है और इस प्रावधान का अनुपालन किया जाना चाहिए ताकि उन दो व्यक्तियों को प्रमाणित गवाह के रूप में माना जा सके । पुनः एम एल अब्दुल जब्बार साहब के माले में , उसके पैरा 8 में यह देखा गया है , प्रमाणित करना एक तथ्य का साक्ष्य देना है संक्षेप में कहें तो धारा 3 के तहत वैध सत्यापन की आवषक षर्ते हैं 1. दो या दो से अधिक गवाहों ने निश्पादक को लिखत पर हस्ताक्षर करते देखा है या उससे उसके हस्ताक्षर की व्यक्तिगत पावती प्राप्त की है 2. प्रत्येक इस तथ्य को प्रमाणित करने या गवाही देने की दृश्टि से उनमें से एक ने निश्पादक की उपस्थिति में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं यह आवषयक है कि विटर्स को अपने हस्ताक्षर एनीमें अटेस्टैडी में डालने चाहिए अर्थारत यह प्रमाणत करने उददेष्य से कि उसने निशपादक के हस्ताक्षर का उल्लेख यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उददेषय के लिए दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर करता है उदाहरण के लिए यह प्रमाणित करने के लिए वह एक मुंषी या एक पहचान कर्ता या एक पंजीकरकण अधिकारी है वह एक प्रमाणित गवाह नहीं

है।फिर इसके पैरा 10 में यह आगे देखा गया है कि पंजीकरण अधिकारी को तारीख और अपने हस्ताक्षर को पृश्ठांकरन पर चिपकाना आवषक है धारा 5 प्रथम दृश्या पंजीकरण अधिकारी पंजीकरण अधिनियम की धारा 59 के तहत अपने वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर करता है न कि इसे सत्यापित करने या प्रमाणित करने के उददेष्य से कि उसे निश्पादक से एक व्यक्तिगत पावती प्राप्त हुई है उसके हस्ताक्षर का

12. सबंधित पक्षोंदवारा उपरोक्त निर्णयों पर विचार करते हुए विदवान एकल न्यायधीन ने उपरोक्त दो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों केमध्यनजर संक्षेप में कहा कि उप रजिस्टरार दवारा किए गए समर्थन को सत्यापन नहीं कहा जा सकताहै जैसा कि धारा 63 के तहत विचार किया गया है भारतीय उतराधिकार अधिनियम जिला की धारा 63 औरसाक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की की धारा 71 का लाभ नहींउठा सकते है और उनके दवारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य नहीं दिए जा सकते है। विचाराधीन हैऔर वसीयत के निश्पाउदन को स्थापित करने के लिए अनावषयक है।

13. न्यायमूति जे वी गुप्ता दवारा दिए गए इस नयायालय केइस सुविचारित निर्णय के खिलाफजैसा िकवह तब थे इस न्यायालय के असफल अपीलकर्ता इस नयायलयके दृश्टिकोण का समर्थन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयमें गए धर्म सिंह बनाम श्री मति असो वगैरा ए एल आर के रूप में रिर्पोट किए गए मामले में 1990 एस सी 1888 निम्नानुसार मनाया गया

हमनें रिकार्ड की जांच की है और संतुश्ट कि अपीलीय नयायालय औरउच्च नयायालय अपने मामले में सही थे निश्कर्श यह है कि रजिस्टरार संतप्त नहीं हो सकता । गवाह गवाह इसलिए निश्कर्श है कि वसीयत को विविधवत साबित नहीं कियागया था परेषान नहीं किया जा सकता

14. उपरोक्त चर्चा से, एक तथ्य स्पश्ट है कि सिद्वान एकल न्यायाधीष न्यायमूर्ति जे धरन सिंह के मामले (सुप्रा) में सुविचारित निर्णय , जिसपर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा षस्त्रागार की मुहर लगी। नतीजतन, यह मामने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि अपीलकर्ता के वकील द्वारा उदधृत दो प्राधिकारियों में निर्धारित कानून सही नहीं है और इस प्रकार, इसे खारिज कर दिया गया है।?

15. तथ्यात्मक स्पश्टीकरण के माध्यम से, यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्तमान मामले में मुंषी और उप रजिस्ट्रार के बयानों को गवाहों के साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। दोनों गवाहों ने स्वीकार किया है कि वे निश्पादक को नहीं जानते थे । जैसा कि पहले कहा गया है न तो निश्पादक और न ह ी प्रमाणित करने वाले गवाह के अंगुठे के निषान रिकार्ड पर साबित हुए हैं इसे देखते हुए इन गवाहों के बयान उस कागज के मूल्य के लायक नहीं है जिस पर वे दर्ज हैं ।वसीयत के वैध निश्पादन के लिए , रिकार्ड पर संतोशजनक सबूत होना चाहिए कि निश्पादक स्वस्थ दिमाग वाला था । वाद मेंयह विषेश रूप से आरोप लगाया गया है कि कथित वसीयत के निश्पादन के समय निश्पादक बीमार, अषक्त और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, इलम सिंह , पी डब्ल्यू 1, नगीना का बेटा, वादी ने इस आष्य का एक

स्पश्ट ब्यान दिया है न्यायालय में, जिसे गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई और साक्ष्य में खंडन नहीं किया गया । डी डब्ल्यू सतपाल (प्रतिवादी नंबर 3) ने खुद गवाह के रूप में पेष होते हुए स्वीकार किया कि निश्पादक ठीक नहीं था और वह उसका इलाज गांव के एक वैध से करवा रहा था डी डब्ल्ॅयू 3 गांव के स्वर्ण सिंह लंबरदार और वसीयत के एक कथित गवाह ने स्पश्ट रूप से कहा है कि निश्पादक गंभीर रूप से बीमार था और अपने होष में नहीं था और उसके पास समझने की कोई षक्ति नहीं थी ।इस व्रकार, रिकाॅर्ड पर यह साबित हो गया है कि निश्पादक /वसीयतकर्ता का दिमाग ठीक नहीं था । वसीयत के वैध निश्पादन के आसपास अन्य रहस्यमय परिस्थितियां भी हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि यदि वसीयत की अनदेखी की जाती है तो वादी नगीना को अपने भाई तालाब के साथ संपति विरासत में मिलेगी।वसीयत में इस बात का कुछ भी उल्लेख नहीं है कि कानुनी उतराधिकारियों की उपेक्षा क्यों की जारही है। ऐसे में वसीयत की प्रमाणिकता और वास्तविकता अत्यधिक संदिग्ध है।

16. अपीलकर्ताओं के वकील ने अपना तर्क आगे बढाया के ब्यानों के मध्यनजर वसीयत की वैधता का बिंदु मुंषी और उप रतिजस्टरार का उन्होने कोई तर्क आगे नहीं बढाया है-किसी अन्य बिंदु पर उल्लेख करें, फिर भी अपील के आधार पर, इसके ग्रांउड नम्बर 6 यह आरोप लगाया गया है कि गोद लेने के बिंदु पर मुदा नंबर 4 ए आई सी पर निश्कर्श गलत है और इसे उलटने की जरूरत है । अपीलकर्ताओ के वकील ने तर्क के समय इस मुददे पर गंभीरता से हमला नहीं किया था , फिर भी यह स्पश्ट किया गया है कि नीचे की दोनों अदालतो ने गोद लेने की दलील को खारिज करते हुए तथ्य का एक समवर्ती निश्कर्श दर्ज किया है । कोई भी गोद लेने का दस्तावेज , जिसे पंजीकृत किया जाना चाहिए , रिकार्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया है इस अदालत ने मामले के इस पहलू पर रिकार्ड पर मौजूद सबूतों का अध्ययन किया है डी डब्ल्यू 7

श्री मति षांति का मौखिक साक्ष्य ,डी डब्ल्यू 1 सत पाल (प्रतिवादी संख्या 3)डी डब्ल्यू 4 सावन राम और डी डब्ल्यू 5 किषन सिंह को एक साथ लेने पर अंसगत और अविश्रसनीय होने के कारण न्यायालयों द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।इन गवाहों के ब्यानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि गोद लेने की दलील को वसीयत की अनेदेखी की स्थिति में सत पाल (प्रतिवादी संख्या 3)डी डब्ल्यू 4 , सावन राम और डी डब्ल्यू 5 किष्यान सिंह को एक साथ लेने पर असंगत और अविश्रसनीय होने के कारण न्यायालयों द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है। इन गवाहों के ब्यानों को संयुक्त रूप से पढने से पता चलता है कि गोद लेने की दलील को वसीयत कली अनदेखी की स्थिति में सत पाल , डी डब्ल्यू 1 द्वारा विरासत में दी जाने वाली भूमि के विकल्प में एक कच्चे प्रयास के रूप में लिया गया है।

17. उपर की गई चर्चा के मध्यनजर , यह तदनुसार माना जाता है कि वसीयत अमान्य है और एक जाली दस्तावेज है और नीचे दिए गए न्यायालयों के निश्कर्शो पर संयुक्त रूप से चर्चा की गई है और मुदा संख्या 2 और 3 के तहत कवर किया गया है इसकी पुश्टि की जाती है , अपील किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण संबधित निर्णय और डिक्री को बरकरार रखते हुए खारिज की जाती है कोई लागत नही।

जेएस टी

समक्ष जी आर मजीठीया , जे

पूनम डेड (मिस) -- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- प्रतिवादी

1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 3542

11 जनवरी 1991

भारत का संविधान ,1950 - अनुच्छेद 226-नियमितीकरण टेम्पो आधार पर तीन महीने की अवधि के लिए अंषकालिक व्याख्याता के रूप में प्रारंभिक अस्थाई षामिल है याचिकाकर्ता को अधिकार नियुक्ति पत्र में सेवा अनुंबध कान्टा से प्रवाहित होता है असाधारण रिट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय का आहान करके याचिकाकर्ता को नियमित नियुक्ति के लिए कोई कानुनी अधिकार नहीं मिलता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा